

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प.....घडौदा..

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलियां
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान.....घडौदा.....

—:आदेश:—

बिजौलियां खुर्द प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी घडौदा व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलियां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम घडौदा तहसील बिजौलियां जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 218 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>घडौदा</u>	<u>218</u>	<u>खाता सं. 218 में प्रार्थी नानालाल के पिता का नाम जैरूलाल है।</u>	<u>खाता सं. 218 में प्रार्थी नानालाल के पिता का नाम जैरूलाल के स्थान पर जैरू किया जाता है।</u>



(सीमा तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
बिजौलियां

क्रमांक :- 96/2021

दिनांक :- 11.10.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बिजौलियां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नानालाल 5/0 जैरूलाल नाम, घडौदा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(सीमा तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
बिजौलियां